International Journal of Enhanced Research in Educational Development (IJERED)
ISSN: 2320-8708, Vol. 11 Issue 6, Nov.-Dec., 2023, Impact Factor: 7.326

किसानो व गरीब मजदुरो के हित के लिए दीनबंधु चौधरी छोटूराम के प्रयास

Suraksha

Research Scholar, Department of History, Baba Mastnath University, Rohtak

सारांश–

दीनबंधु चौधरी सर छोटूराम भारतीय किसानो व गरीब मजदुरो के मसीहा कहे जाते है। उन्होने अपने जीवन के दौरान किसानो के अधिकारो व उनकी समृद्धि के लिए अनेक लडाईयां लडी। उनका जन्म 24 नवंबर 1881 को रोहतक जिले के गांव गढ़ी सांपला में हुआ था। उनके माता पिता ने उनका नाम रिछपाल रखा था, परंतु परिवार मे सबसे छोटा होने के कारण सभी उन्हे छोटूराम कहकर बुलाते थे। उनकी आरंभिक शिक्षा के लिए स्कूल मे दाखिले के समय उनका नाम छोटूराम ही लिखवा दिया गया। उन्होने बाल अवस्था से ही आर्यसमाज को अपना लिया था। उस समय मे छोटी उम्र मे शादी करने की प्रथा के कारण उनकी शादी ज्ञानो देवी से मात्र 11 वर्ष की उम्र मे कर दी गई। गांव से प्राथमिक की शिक्षा पुर्ण करने पर बाद उन्होने मिडल शिक्षा झज्जर से प्राप्त की व आगे की शिक्षा के लिए जिद्द की, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति सही नही होने के कारण उनके पिता श्री सुखीराम जो पहले से ही कई मुकदमो से घिरे हुए थे, वे छोटूराम की शिक्षा के लिए साहुकार से श्रण लेने की सोची जब उनके पिता छोटूराम के साथ लेकर साहुकार के पास पैसे ब्याज पर लेने के लिए गए तो साहुकार ने उनके पिता को श्रण देने के बजाये बुरी तरह अपमानित किया। जिसने छोटूराम के जीवन मे एक नया मोड ला दिया। उनके पिता के हुए इस अपमान ने उनके अंदर एक विद्रोह व बदलाव की भावना को उत्पन किया। जैसे तैसे करके उनके पिता ने उनका दाखिला क्रिशचन मिशन स्कूल झज्जर मे करवा दिया। उन्होने पहली विद्रोह हडताल क्रिशचन मिशन स्कूल के छात्रावास प्रभारी के विरुद्ध की जिसमे उन्होने छात्रो के अधिकारो के लिए डटकर अगवाई की व छात्रो की सुविधाओ के लिए अनेक हडतालो मे बढ चढ कर भाग लिया। जिसे देखते हुए छात्रो ने उन्हे 'जनरल रॉबर्ट' पुकारना प्रारंभ कर दिया। इंटरमीडियेट परीक्षा पास करने के बाद छोटूराम जी ने दिल्ली के अत्यन्त प्रतिष्ठित सैंट स्टीफन कालेज से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। उसके पश्चात इन्होंने लॉ की डिग्री प्राप्त की व मेरठ और आगरा डिवीजन की सामाजिक स्थिति का अध्ययन किया। उसके पश्चात इन्होने चौधरी लालचंद के साथ वकालत आरम्भ कर दी और जल्द ही इन्होने जाट सभा का गठन किया। दीनबंधु चौधरी छोटूराम ने प्रथम विश्वयुद्ध के समय में रोहतक से जाट सैनिको को भरती करवाया जो तादाद मे कुल भरती हुए सैनिको का आधा भाग था। इन्होंने शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए अनेक शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जिसमें "जाट आर्य-वैदिक संस्कृत हाई स्कूल रोहतक" प्रमुख है। छोटूराम जी अपनी आय का एक बडा हिस्सा शिक्षण संस्थानो मे लगाते थे ताकि भारत की आने वाली पीढी पढी लिखी व अपने अधिकारो को पूरी तरह जानती हो। वकालत जैसे व्यवसाय में भी चौधरी साहब ने झूठे मुकदमे न लडना, गरीबों किसानो व मजदुरो को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना व सभी के साथ सद्व्यवहार करना आदि अपने पेशेवर जीवन का आदर्श बनाया।सन 1915 में चौधरी छोटूराम जी ने 'जाट गजट' नाम का क्रांतिकारी अखबार शुरू किया जो हरयाणा का सबसे पुराना अखबार है, जो आज भी छपता है। इसी अखबार के माध्यम से इन्होने ग्रामीण जनजीवन की समस्याओ, उनकी जरुरते व साहूकारों द्वारा गरीब किसानों के शोषण पर सरकार व क्रांतिकारियो का ध्यान केंद्रित किया।

मुख्य शब्द :– संग्रहालय, पुनर्वालोकन,सांस्कृतिक, पुरातात्विक, कलाकर्तियां, मुर्तियां, मुद्राएं।

1916 में सर छोटूराम जी ने अपना राजनितिक अध्याय शुरु करते हुए कांग्रेस में शामिल हो गए और 1920 में रोहतक जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बनाए गए। रोहतक जिले में चौधरी छोटूराम द्वारा आह्वान किए जाने पर

अंग्रेजी हुकूमत की सांसे फुल जाती थी। चौधरी छोटूराम जी के लेखों और कार्यो से अंग्रेजों मे बोखलाहट पैदा हो गई थी। जिसके चलते रोहतक जिले के डिप्टी कमिश्नर ने तत्कालीन अंग्रेजी सरकार से दीनबंधु चौधरी छोटूराम जी को देश-निकाला देने की सिफारिश कर दी। पंजाब सरकार ने अंग्रेजो को बताया कि चौधरी छोटूराम एक क्रांति हैं, उनको देश निकाला देने से सारे देश मे बवाल हो जाएगा। किसान का बच्चा-बच्चा छोटूराम हो जायेगा। अंग्रेजों की रुह कांप गई और डिप्टी कमिश्नर की सिफारिश को रद्द कर दिया गया। जब रोहतक शहर मे मार्शल लागु था तब चौधरी छोटूराम के साथ मिलकर लाला श्याम लाल और उनके तीन वकील साथी नवल सिंह, लाला लालचंद जैन और खान मुश्ताक हुसैन ने रोहतक में एक जलसे में अंग्रेजो द्वारा किए जा रहे अत्याचारों की खुलकर निन्दा की। इससे पुरे पंजाब मे एक भूचाल सा आ गया जिससे अंग्रेजी हुकुमत मे रोष पैदा हो गया। चौधरी छोटूराम व उनके साथियों को अंग्रेजो ने अपने रोष का निशाना बना दिया और उन सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए कि "क्यों न इनके वकालत के लाइसेंस रद्द कर दिये जायें"। इस कारण बताओ नोटिस के संबंध मे एक मुकदमा बहुत दिनों तक सैशन कोर्ट में चलता और आखिर चौधरी छोटूराम की जीत हुई। यह जीत नागरिक अधिकारों की जीत थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ विचारो का मतभेद होने के कारण चौधरी छोटूराम के क्रांग्रेस पार्टी का साथ छोडना पडा। क्रांग्रेस के साथ वैचारिक मतभेद का मुख्य कारण महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में किसानों की अनदेखी थी, जो छोटूराम को मंजुर नही थी। उसके बाद दीनबंधु सर छोटूराम ने सर फजले हुसैन और सर सिकंदर हयात खान के साथ मिलकर अपनी खुद की पार्टी बनाई जिसका नाम जमींदारा पार्टी था, जिसको बाद में नाम बदलकर यूनियनिस्ट पार्टी कर दिया गया। इनकी पार्टी पंजाब मे बेहद लोकप्रिय थी जिसका अंदाजा सन 1937 के पंजाब के प्रांतीय चुनाव से लगाया जा सकता है जिसमें सर छोटू राम की पार्टी ने 175 में से 99 सीट पर जीत हासिल की। दीनबंधु सर छोटूराम की हिंदू व मुस्लिम समुदाय में गहरी पकड थी और जाति व धर्म से उपर उठकर इन्हें विशेष रुप से जमीदारों, किसानो व मजदुरो का समर्थन प्राप्त था। वो आंतरिक सरकार मे पंजाब के विकास एवं राजस्व मंत्री बने। दीनबंधु सर छोटूराम ने किसानों, गरीबो व मजदुरो के लिए क्रांतिकारी सुधार करते हुए कई महत्वपूर्ण कानून पारित कराने अहम योगदान दिया।

दीनबंधु चौधरी छोटूराम द्वारा किसानो, गरीबो व मजदुरो के हित के लिए लागु करवाए जाने वाले कानुन एवं अन्य कार्य

1. पंजाब इन्तकाल अराजी एक्ट – इसमे संशोधन किये गये, जिसके आधार पर खेती करने वाले साहुकारो को भी गैर जमींदार साहुकारो की सुची मे रख दिया गया। रहनशुदा भुमि की जर खेजी को खराब नही किया जा सकता।
2. बंधक भुमि वापिस एक्ट (1938)- इसके द्वारा 08 जून 1901 से पहले की रहनशुदा जमीनो को इनके असली मालिको को मुफ्त वापिस करा दिया गया। इस कानुन से 365000 किसानो को फायदा हुआ और 835000 एकड जमीन इन किसानो को वापिस मिल गई।
3. पंजाब कृषि उत्पादन मार्केटिंग एक्ट (1938) – इस एक्ट के फलस्वरुप मंडियो का पंजीकरण किया गया। महाजनो को लाईसैन्स लेना जरुरी कर दिया, मंडी मार्केटिंग कमेटी मे 2/3 प्रतिनिधि किसानो के 1/3 महाजनो को निर्धारित किए गये।
4. द पंजाब वेटस एण्ड मैजर्स एक्ट (माल तौल कानुन, 1941) – इस कानुन के अनुसार व्यापारियो के बांटो को तोलने और उनकी जांच का कार्य प्रारम्भ हुआ। दण्डी वाली तखडी के स्थान पर कांटेवाली तराजू नियुक्त की गई। इसकी जांच पडताल के लिए इंस्पेक्टर नियुक्त किये गये। फलत: खरीदारो को निर्धारित मात्रा से कम तोल कर देने औऱ विक्रेताओ से अधिक तोल कर लेने की आदत पर रोक लगी।
5. पंजाब एक्ट – रजिस्ट्रेशन ऑफ मनीलैंडर्स एक्ट(1938) – इस एक्ट के आधार पर ब्याज पर रुपया देने का धन्धा करने वाले महाजनों व साहुकारो को नियन्त्रित किया गया। इससे अनाप – सनाप ब्याज लेने की योजना घट गई। इस बिल के अनुसार साहुकार लाईसैन्स लेकर ही कोई व्यापार कर सकेगा।

6. पंजाब ट्रेड एम्पलाईज एक्ट (1940) – इस एक्ट के अनुसार, सप्ताह मे कामगारों, मुनीमो और मजदुरो की, एक दिन की वैतनिक छुट्टी होने लगी, काम करने के घन्टे, निश्चित किये गये। किसी को नौकरी से हटाने के लिये एक मास का नोटिस देना आवश्यक है।
7. मसहलती बोर्ड की नियुक्ति की गई- इसके अनुसार कर्जदार आठ आने की कोर्ट फीस भरकर अपने कर्जे को घटाने की अर्जी दे सकता है, जो पहले ऐसी व्यवस्था नही थी।
8. बेनामी भूमि ट्रां सैक्सन एक्ट (1938) – इस एक्ट के आधार पर तमाम बेनामी जमीनो को वापिस उनके मालिक किसानो को दिलवाया गया। इसके लिए 5 तहसीलदार नियुक्त किये गये थे। जिन्होने अकेले गुरदासपुर जिले मे 44 लाख रुपये बेनामी को पकडा यही हाल सब जिलों का था।
9. कृषक सहायक कोष चालु किया, जिसमे किसानो की सहायता के लिए 55लाख रुपये डाले गये। ताकि ओले, टिड्डी, बाढ तथा सुखा द्वारा की गई हानि की स्थिति मे किसानो की सहायता की जा सके।
10. शुद्ध घी मे वनस्पति घी न मिलाया जा सके अत: वनस्पति घी मे रंग डालने का कानुन बनाया।
11. गांवो मे उधोग धन्धे खोले गये ताकि ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक उन्नति हो औऱ शहरो तथा कस्बो मे आबादी का दबाव न बढे।

12. किसानो के लिये नौकरियो मे सुविधाये दी गई। पहले कमिश्नर लोग भी लाला लोगो की ही बात सनते थे। जमींदारो का उनके पास पहुचना ही मुश्किल था।
13. किसानो के हित के लिए बिक्री टैक्स व जायदाद कानुन बनाए। जायदाद से होने वाली आमदनी पर 20 फीसदी टैक्स लगाए गए। किराया वही रहा जो अब से दो वर्ष पहले लिया जाता था। अत:वह बढाया न जाए।
14. इन टैक्सो के अतिरिक्त साहुकारो पर 6 करोड सालाना की आमदनी के टैक्स लगाए गए। इस आमदनी से देहातो मे पानी, दवा औऱ शिक्षा का उत्तम प्रबंध किया गया।
15. पंजाब कर्जदार रक्षक कानुन (1936) – यह कानुन पास करके किसानो की जमीन की रक्षा की गई।
16. पंजाब मलकियत अधिकार कानुन (1934) व तीसरा संशोधन (1940) - इसके अनुसार जमीदार सरकार ने पंजाब के किसानो की आर्थिक गुलामी के जुए को उतार फेंका। इस कानुन द्वारा किसानो को निम्न प्रकार की सुविधाए मिली –

    i) कोई साहुकार जमीदार को कैद नही कर सकता।

    ii) किसान के रहने के लिए घर तथा नौहरे कुर्क नही हो सकती।

    iii) खेत मे काम करने वाले औजार - कस्सी, कसौला, गाडी, दुधारु पशु तथा फसल कुर्क नही हो सकती ।

    iv) किसानो के बैल तथा पशु बंधने के स्थान, कुडा डालने का सामान (खाद की कुरडी), चारा एवं चारा रखने का स्थान तथा गितवाड व बिटोडा भी कुर्क नही हो सकते।

    v) घर मे प्रयोग आने वाला सामान, फसल की पैदावार का 1/3 कुर्क नही हो सकता और यदि वह 1/3 आसानी से 6 महीने के गुजारे के लिए काफी नही हो तो उतना हिस्सा कुर्क नही होगा।

इन सबके अलावा भी दीनबंधु चौधरी छोटूराम की भारत की राजनिति व लोक सेवा मे एक अलग ही पहचान थी। उन्होने अपना पुरा जीवन किसानो व गरीब मजदुरो के हितो मे लगा दिया। इतना ही नही उन्होने अपने जीवन के अंतिम दिनो मे भी गरीब किसानो के हित के लिए अपना कार्य जारी रखा। बहुत कम लोग जानते हैं कि वह चौधरी छोटूराम ही थे जिन्होंने भाखड़ा बांध के निर्माण की कल्पना की थी। भाखडा बांध उनकी की मेहनत का नतीजा है। उन्होने पंजाब सरकार की तरफ से बिलासपुर के राजा के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, उस समय बिलासपुर के राजा का अधिकार सतलज नदी के पानी पर था। उन्होंने मरने से कुछ महीने पहले ही समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 9 जनवरी, 1945 को सर छोटू राम का निधन हो गया। लेकिन दीनबंधु चौधरी छोटूराम जी के कद और व्यक्तित्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत के लोह पुरुष सरदार पटेल भी उनके मुरीद थे। एक बार सरदार पटेल ने छोटूराम के बारे में कहा था कि आज चौधरी छोटूराम जीवित होते तो पंजाब की चिंता हमें नहीं करनी पड़ती, चौधरी छोटूराम जी संभाल लेते। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह कितने कद्दावर आदमी थे। साल 2018 में पीएम मोदी ने रोहतक के सांपला में छोटूराम की 64 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। आज भी रोहतक जिले के गढी सांपला मे दीनबंधु चौधरी छोटूराम की स्मृति मे उनका एक संग्राहलय बना हुआ है। जिसमे उनके द्वारा कही गई प्रमुख बाते व उनके जीवन व उनके कार्य से जुडी तस्वीरे व वस्तुए वहा पर मौजुद है।

निष्कर्ष

इस शोध से दीनबंधु चौधरी छोटूराम के व्यक्तित्व, विचार, शुरुवाती जीवन मे उनके संघर्ष, उनकी शिक्षा, लोक सेवा मे किए गए उनके कार्यो के बारे मे इतिहासी घटनाओं को उजागर किया गया है। साथ ही उनके द्वारा किसानो, गरीब मजदुरो के हितो के लिए विशेष रुप से उन्होने अपने जीवन को समर्पित किया है। उन्होने किसानो व मजदुरो को साहुकारो के ब्याज रुपी चक्रव्युह से बचाया है। जो किसान अपनी ही जमीन पर बंधुओ मजदुरो की तरह काम करते थे उन्हे उनका हक दिलाकर चौधरी छोटूराम ने समाज मे एक नया सवेरा लाया है। इस शोध

से पता चलता है कि कैसे दीनबंधु चौधरी छोटूराम ने अपने जीवन काल मे किसानो व मजदुरो के हक के लिए लडाई लडी व तब के पंजाब राज्य की राजनिति मे उनकी भुमिका को बेहतर ढंग से समझने व उनके प्रयासो के सकारात्मक प्रभावो को जनमानस के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

संदर्भ सुचि

1. अग्रवाल, जे.सी. औऱ अग्रवाल, एस.पी "मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ पंजाब, न्यु दिल्ली 1922"
2. अग्निहोत्री, एच.एल. औऱ मलिक, शिवा. एन "ए प्रोफाईल इन कवरेज: ए बायोग्राफी ऑफ चौधरी छोटुराम, न्यु दिल्ली 1978"
3. आलुवालिया, एम.एम "फ्रिडम स्ट्रगल इन इंडिया, 1965"
4. अंबेडकर, बी. आर. "वाट कांग्रेस एंड गांधी हेव डन फॉर अनटचेबल, 1945"
5. अंबेडकर, बी. आर. "पाकिस्तान और पार्टिशियन ऑफ इंडिया, बॉम्बे 1945"
6. वर्मा, डी.सी "सर छोटूराम लाईफ एंड टाईम्स, न्यु दिल्ली 1981"
7. टीकाराम "सर छोटुराम : अपोस्टल ऑफ हिन्दु मुस्लिम युनिटी, लाहोर 1946"
8. टलबोट, इयान "द पंजाब एंड द राज, 1849-1947, न्यु दिल्ली 1988"
9. सिंह, हरि "दीनबंधु चौधरी छोटूराम : जीवन चरित्र, रोहतक 1984"
10. सिंह, बलबीर "सर छोटूराम : द मैन एण्ड हिज मिसिंग, न्यु दिल्ली 1995"
11. सिंह, बलबीर "सर छोटूराम : स्लेक्टीड स्पीच एण्ड राईटींग, न्यु दिल्ली 1996"
12. सिंह, बलबीर "सर छोटूराम : इन थोट एण्ड डिडस, न्यु दिल्ली 1994"
13. सीतारमय्या, पट्टाभी "हिस्ट्री ऑफ द इंडियन कांग्रेस : 1885-1935, दिल्ली 1969"
14. शास्त्री, रघुबीर सिंह "छोटूराम जीवन, रोहतक 1965"
15. सरकार, सुमित "मॉडर्न इंडिया : 1885-1947, मद्रास 1983"